न्यायालय प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश, बस्ती

सिविल अपील संख्या--२२/२०१०

कतारू---बनाम--राम बरन

निस्तारण संशोधन प्रार्थनापत्र ४८क

२७-८-२०१९

प्रार्थनापत्र ४८क अपीलार्थी की ओर से मूल वाद संख्या-२५२/१९९१ में प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र १७क में संशोधन करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस प्रार्थनापत्र के माध्यम से अपीलार्थी/प्रतिवादी, प्रतिवाद पत्र १७क में पैरा-१२अ की वृद्धि करना चाहता है। अपीलार्थी ने पैरा-१२अ में कथन किया है कि मौजा निजाई दिनांक ११ -१-१९९१ से ३१-१-२००५ तक जेरे चकबंदी रहा। वादी ने दौरान चकबंदी विवादित भूमि के संबंध में कोई आपत्ति चकबंदी में प्रस्तुत नहीं किया। प्रतिवादी विवादित भूमि के अंतिम रूप से भूमिधर बाकब्जा मानते हुए फार्म-४५ में दर्ज हुए वादी दावा हाजा चकबंदी प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रस्तुत किया गया है। इस तौर से दावा वादी धारा-४९चकबंदी अधिनियम से बाधित है।

उक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध प्रत्यर्थी ने आपत्ति ५२ख प्रस्तुत की है। प्रत्यर्थी के अनुसार प्रार्थनापत्र नियम प्रक्रिया के विपरीत है। संशोधन प्रार्थनापत्र ४८क स्वीकृत होने से नये वाद विन्दु और नये साक्ष्य की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। प्रार्थनापत्र संशोधन काफी विलंब से दिया गया है। गांव की चकबंदी वर्षों पहले हो चुकी है। अपीलार्थी पहले भी वादोत्तर में प्रार्थनापत्र १९क के द्वारा संशोधन कर चुका है। मंसूखी का आधार वाइडेबुल डाकूमेण्ट का है। जिसका क्षेत्राधिकार चकबंदी न्यायालय को नहीं है। इसलिए धारा-४९ चकबंदी अधिनियम की बाधा का प्रश्न ही नहीं है। अत:प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

प्रार्थनापत्र पर उभय पक्षों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

इस प्रार्थनापत्र से पूर्व अपीलार्थी की ओर से इसी आशय का प्रार्थनापत्र ४१क प्रस्तुत किया गया था। जिसे इस न्यायालय ने दिनांक १५-१२-२०१८ को निरस्त कर दिया। दिनांक १५-१२-२०१८ के विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या-१७७/२०१९ प्रस्तुत की। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक २१-२-२०१९ को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक १५-१२-२०१८ में कोई त्रुटि नहीं पायी। परन्तु अपीलार्थी को चकबंदी से संबंधित सुसंगत साक्ष्य को अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमित प्रदान कर दी। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने पुन: संशोधन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की कोई अनुमति अपीलार्थी को नहीं दी है। अत: संशोधन प्रार्थनापत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इस प्रार्थनापत्र के साथ अपीलार्थी ने सूचना प्राप्त करने के दो आवेदन पत्र क्रमश: दिनांक ८-४-२०१९ व ९-४-२०१९ प्रस्तुत किये है। जो मौजा-हल्लौरनगरा तप्पा कोरऊ,परगना महुली पश्चिम, तहसील व जिला बस्ती में चकबंदी से संबंधित हैं। चूँकि माननीय उच्च न्यायालय ने चकबंदी से संबंधित सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति

अपीलार्थी को दे दी है। इसलिए उक्त दोनों सूचना प्राप्त करने के आवेदन पत्र पत्रावली पर ग्रहण किये जाते हैं। तदनुसार प्रार्थनापत्र ४८क निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बहस दिनांक २३-०९-२०१९ को पेश हो।

प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश,
बस्ती